न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 34 / 2014 (2014 / 00030) जिला–नागौर

शंकर पुत्र हजारी जाति खाती निवासी ग्राम ढाढासनी तहसील मेड़ता जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. सेहन लाल पुत्र बंशी
2. रामप्रसाद पुत्र बंशी
3. पतासी पत्नी बंशी
   समस्त जाति खाती निवासी ढाढासनी तहसील मेड़ता जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।
5. पटवारी हल्का गठिया तहसील मेड़ता जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 29–01–2014
अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 17 / 2013
बउनवान शंकर बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री मंगलाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांकः– 01–11–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में रकबे की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ढाढासनी तहसील मेड़ता के आराजी खसरा नम्बर 201 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जो खेत सम्वत् 2008 के भू–प्रबन्ध में उसके पिता की खातेदारी में दर्ज था। नये सेटलमेंट के दौरान इसके खसरा नम्बर 466 का रकबा 2.5 हैक्टर बना तथा अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज हुआ। इस प्रकार हाल सेटलमेंट में खेत का रकबा 0.71 हैक्टर कम अंकित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने अपने आदेश दिनांक

17–12–2012 को रकबा दुरूस्ती का आदेश पारित कर दिया तथा अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, मेड़ता को आदेश पारित किये गये। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 181 के संबंध में मार्गदर्शन हेतु दिनांक 6–6–2012 को तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार ने उक्त आदेश की पालना में इस जिले का भोगोलिक क्षैत्र बढ़ जाने का अंकन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 10–1–2013 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। तहसीलदार के उक्त नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10–1–2013 के विरूद्ध जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–1–2014 द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–1–2014 की सूचना अपीलार्थी के अभिभाषक को नहीं दी गई। उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19–2–2014 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 20–2–2014 को नागौर जाकर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उक्त निर्णय की नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20–2–2014 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के आदेश दिनांक 17–12–2012 को निरस्त करने का अधिकार मातहत तहसीलदार को नहीं था इसके बावजूद भी उनके आदेश की अवहेलना

करते हुए नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया। तहसीलदार, भूमिधारी होने के नाते यदि यह आदेश गलत था तो उनको इसकी अपील सक्षम न्यायालय से स्वीकृति लेकर की जानी चाहिए थी । तहसीलदार द्वारा स्वयं के स्तर से नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से पारित आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि तहसीलदार का यह तर्क अवैधानिक है कि नामान्तरकरण आदेश की पालना से इस जिला का भौगोलिक क्षैत्र बढ़ जायेगा जो कि नियमानुसार संभव नहीं है तथा उनका यह कहना भी गलत है कि यह रकबा किस खेत से कम किया जायेगा। दोनो ही तर्क विधिमान्य नहीं है क्योंकि इस आदेश से न तो भौगोलिक क्षैत्र का रकबा बढ़ेगा ना ही किसी खेत का रकबा कम होगा बल्कि यह तो मात्र एक भूल जो भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। जो रकबा वास्तव में अपीलार्थी के कब्जे काश्त में है तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में भी यह अंकन किया है कि वास्तव में अपीलार्थी के खेत का रकबा 2.75 हैक्टर ही है इसलिए इस आदेश से रकबा की दुरूस्ती की गई है किसी की खातेदारी का रकबा कम नहीं होगा न किसी भी क्षेत्र का रकबा बढ़ेगा जो भूल हुई है उसका सुधार होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की एव ंना ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं नामान्तरकरण स्वीकृत करने की प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–1–2014 निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार मेड़ता द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 10–1–2013 को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के आदेश दिनांक 17–12–2012 के द्वारा ग्राम ढाढासनी की जमाबदी खाता संख्या 166 सम्वत् 2065–68 खेत खसरा नम्बर 466 रकबा 2.05 हैक्टर के स्थान पर 2.76 हैक्टर दर्ज किया जाकर राजस्व रकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में ग्राम ढाढासनी पटवार हल्का गंठिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गगराना द्वारा नामान्तरकरण भरकर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया। तत्पश्चात तहसीलदार, मेड़ता द्वारा दिनांक 8–1–2013 को नामान्तरकरण संख्या 181 पर ही टिप्पणी अंकित कर सूचना चाही कि रकबा 0.71 हैक्टर किस नम्बर से कम होगा मार्गदर्शन ले। रिपोर्ट पेश करे। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण पर ही दिनांक 9–1–2013 को अंकित किया कि ''मेरे द्वारा इस संबध में मार्गदर्शन हतु दिनांक 6–6–2012 को तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई थी जो आज दिनांक तक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।'' उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, मेड़ता द्वारा दिनांक 10–1–2013 को नामान्तरकरण संख्या 181 यह अंकित करते हुए खारिज

कर दिया कि ग्राम व जिले का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ जायेगा जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। अतः किन–किन खसरा नम्बरान में से रकबा कम होगा, का जब तक निर्णय प्राप्त नहीं होगा । नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः फिलहाल नामान्तरण अस्वीकार किया जाता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भू–अभिलेख निरीक्षक, गगराना एवं पटवार हल्का गंठिया द्वारा अपनी संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 6–6–2012 को उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को प्रस्तुत की जिसमें उनके द्वारा अंकन किया गया है कि गाम ढाढासनी के नये खसरा नम्बर 466 रकबा 2.05 हेक्टर के स्थान पर 2.76 हेक्टर संशोधन करने हेतु नया नक्शा पुराना नक्शा व मौके का नाप किया गया जिसके पुराने खसरा नम्बर 201 व नया खसरा नम्बर 466 में नक्शे अनुसार नाप 2.05 हैक्टर ही बनता है। मौके के नाप के अनुसार उक्त खसरा नम्बर पड़ौसी दूसरे खसरा नम्बरों में है। अतः पडौसी खसरा नम्बर का रकबा कम कर इसका रकबा बढ़ाया जाना उचित नहीं है। उक्त रिपोर्ट को नजर अन्दाज कर उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा खाता संख्या 166 सम्वत् 2065–68 में खेत खसरा नम्बर 466 रकबा 2.05 हक्टर के स्थान पर 2.76 हैक्टर दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में शुद्धिकरण के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा तहसीलदार, मेड़ता के समक्ष उक्त नामान्तकरण प्रस्तुत होने पर जांच में रकबा 0.71 हैक्टर बढ़ने से इसके सन्दर्भ में चाहा गया मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त किया है जिसे उचित मानते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 181 दिनांक 10–1–2013 को यथावत कायम रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–1–2013 एवं तहसीलदार, मेड़ता द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10–1–2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–1–2014 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 17/2013 बउनवान शंकर बनाम राजस्थान सरकार एवं तहसीलदार, मेड़ता द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 10–1–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर